राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1128/2017/जोधपुर

मैसर्स गुप्ता पेन्ट्स,
94ए, कामा हाऊस, अजमेर रोड़,
सोडाला, जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
बिजनेस ऑडिट–द्वितीय, जोन–तृतीय,
जयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री संदीप सोगानी,
अधिकृत अभिभाषक .....अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से
श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 28.09.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (प्रशासन) तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 08.03.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वित्तिय वर्ष 2013–14 में फर्म का चयन धारा 27 के अन्तर्गत ऑडिट हेतु होने पर फर्म का अंकेक्षण किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने एकपक्षीय आदेश दिनांक 22.03.2016 द्वारा कर राशि रूपये 7,62,618/– की मांग कायम की गई जिसके विरूद्ध अपीलार्थी व्यवसाई ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 08.03.2017 द्वारा अस्वीकार किया गया है जिसके विरूद्ध कर बोर्ड के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा कर निर्धारण आदेश दिनांक 22.03.2016 पारित कर रू. 7,62,618/– की मांग सृजित की है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी की टिप्पणी के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी के द्वारा अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया है,जो तथ्यों एवं रिकार्ड के अनुसार उचित नहीं है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना नोटिस तामील कराये ही कर निर्धारण आदेश पारित किया है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को वर्ष 2013–14 का कर निर्धारण पारित करने हेतु नोटिस जारी किया, किन्तु उसकी पालना में नियत तिथि तक अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से ना तो कोई उपस्थित हुआ और ना ही कोई जबाब प्रस्तुत किया गया। उनका कथन है कि नोटिस तामीली के बावजूद अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से ना तो स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ और ना ही कोई उपस्थित हुआ,

2m

ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी ने एकतरफा कर निर्धारण आदेश दिनांक 22.03.2016 पारित करते हुए रू0 7,62,618/—की मांग सृजित की है, जो उचित है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया है, जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी का यह कथन कि उन्हें कर निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के प्रतिकूल है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :—

7. विचाराधीन प्रकरण में नोटिस दिनांक 07.01.2016 पेशी दिनांक 14.01.2016 जारी करने पर यह नोटिस व्यवहारी द्वारा प्राप्त किया गया है परन्तु पत्रावली की आदेशिका के पृष्ठ सं. 5 के अनुसार 14.01.2016 को पत्रावली पेशी में नहीं ली गई है व पत्रावली 18.01.2016 को पेशी में ली गई है। आदेशिका दिनांक 18.01.2016 के अनुसार फर्म के विरूद्व पायी गई अनियमितताओं के विधिक निर्वचन एवं एकतरफा कार्यवाही हेतु नोटिस हेतु पत्रावली आगामी तिथि को पेश करने हेतु निर्देशित किया गया है। पत्रावली पुनः 29.02.2016 को पेशी में ली जाकर अनियमतताओं के संबंध में व्यवहारी को नोटिस दिये जाने के निर्देश दिये गये है। निर्देशों की पालना में नोटिस दिनांक 29.02.2016 पेशी दिनांक 04.03.2016 व नोटिस दिनांक 04.03.2016 पेशी दिनांक 11.03.2016 जारी किये गये है परन्तु इन नोटिसों जो कि पत्रावली के पृष्ठ सं 17 व 18 पर अवलोकनीय है, पर तामील नहीं है व न ही आदेशिका में यह उल्लेख है कि इन नोटिसों की तामील किस प्रकार हुई है। इस प्रकार बिना विधिवत तामील कराये एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की है, जिसे न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। अतः प्रकरण के तथ्यों पर गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात न्याय हित में अपीलार्थी व्यवहारीं की अपील स्वीकार करते हुए, प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, इस निर्णय की तिथि से दो माह के भीतर पुनः आलोच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश पारित करें। अपीलार्थी व्यवहारी को भी निर्देश दिये जाते हैं कि कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर आलोच्य अवधि का पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने में सहयोग प्रदान करें।

8. फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.03.2017 एवं कर निर्धारण अधिकारी के कर निर्धारण आदेश 22.03.2016 को अपास्त करते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार कर उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं। अपीलार्थी व्यवहारी को निर्देशित किया जाता है कि वे कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनांक 22.10.2018 को पेश हो।

9. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य